न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी :— अशोक असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 84 / 2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित— 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री रविन्द्र कुमार जैन अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:निर्णय:—

दिनांक 22.07.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ के साथ पैट्रोल—डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ़ नाका लगाकर जांच हेतु उपस्थित हुए। मौके पर हरियाणा बॉर्डर की ओर से आती हुई पिकअप नं0 HR-66-A-1841 को रूकवाकर तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 1600 लीटर डीजल भरा 08 प्लास्टिक ड्रम मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल उम्र 39 वर्ष जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ़ का होना बताया। मुताबिक मुकेश उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 1600 लीटर डीजल मय 08 ड्रम के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1600 लीटर डीजल मय 08 ड्रम तथा पिकअप नं0 HR-66-A-1844 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री राजीव यादव पुत्र जगदीश चंद उम्र 45 वर्ष जाति यादव पेशा सरकारी कर्मचारी निवासी गली नं0 15 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन को सुपुर्दगी में दिया गया था। इस प्रकार मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल उम्र 38 वर्ष जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ़ द्वारा मोटर स्पिरिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप नं0 HR-66-A-1844 मय 1600 लीटर डीजल मय 08 ड्रम को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 18.8.2021 को दिये जा चुके है।

मजिस्ट्रेट

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया। कि अप्रार्थी उक्त वाहन को चलाकर अपनी आजीविका चलाता है। जब्तशुदा ईन्धन कृषि कार्य के लिए, घरेलू उपयोग में लेने के लिए परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी केवल कृषि कार्य के लिए ही ईंधन/डीजल ला रहा था। वर्तमान समय में फसल बिजाई का चल रहा है। राज्य सरकार व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर डीजल तक कृषि कार्य के उपयोग हेतु परिवहन किया जा सकता है। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त वाहन प्रार्थी ने रजिस्ट्रड स्वामी से खरीद कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जिला परिवहन अधिकारी सिरसा हरियाणा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़ को अप्रार्थी के नाम से जारी की गई है। वर्तमान में अप्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन के जब्त के दौरान रंग-रोगन, टायर-ट्यूब व ईन्जन इत्यादि में अभियांत्रिक खराबी होने का अंदेशा है। अप्रार्थी बाद सुपुर्दगी उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द व अन्तरण नहीं करेगा और अदालत हाजा के हर आदेश का पालना करता रहेगा। उक्त वाहन सुपुर्दगी में लेना चाहता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त पिकअप नं0 HR-56-A-1844 मय 1600 लीटर डीजल मय 08 ड्रम को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी उक्त वाहन को चलाकर अपनी आजीविका चलाता है। जब्तशुदा ईन्धन कृषि कार्य के लिए, घरेलू उपयोग में लेने के लिए परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी केवल कृषि कार्य के लिए ही ईंधन/डीजल ला रहा था। वर्तमान समय में फसल बिजाई का चल रहा है। राज्य सरकार व भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर डीजल तक कृषि कार्य के उपयोग हेतु परिवहन किया जा सकता है। सुपुर्दगी प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाहन के जब्त के दौरान रंग-रोगन, टायर-ट्यूब व इंन्जन इत्यादि में अभियांत्रिक खराबी होने का अंदेशा है। अप्रार्थी बाद सुपुर्दगी उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द व अन्तरण नहीं करेगा और अदालत हाजा के हर आदेश का पालना करता रहेगा। उक्त वाहन सुपुर्दगी में लेना चाहता है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाकर या सुपुर्दगी में देकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई भी दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी ने यह भी सिद्ध नहीं किया कि उसके पास खुद के नाम कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने कोई ट्रैक्टर के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये है, लेकिन उक्त दस्तावेज मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

मजिस्ट्रेट

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 1600 लीटर डीजल मय 08 ड्रम को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरतारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 18.06.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।

जहां तक जब्तशुदा पिकअप नं0 HR-66-A-1844 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि धेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप नं0 HR-66-A-1844 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा पिकअप नं0 HR-66-A-1844 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)